अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान हेतु औद्योगिक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की योजना

3161. **श्री अजीत जोगी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का आर्थिक उत्थान करने के लिए औद्योगिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजनावार ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश को कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(ग) अब तक स्वीकृत की गई और स्वीकृति हेतु विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) सरकार ने गरीबी की रेखा के दो गुना नीचे आय वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आय सृजक योजनाओं के लिए अधिमानतः रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत 8 फरवरी, 1989 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (लाभ के लिए नहीं) की स्थापना की है। यह गरीबी की रेखा के दो गुना नीचे वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, साझेदारी वाली फर्मों, संयुक्त व्यक्तियों और सहकारी संस्थाओं को ऋण प्रदान करता है जिनमें सभी सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के होते हैं तथा वे गरीबी की रेखा के दो गुना नीचे के व्यक्ति होते हैं। सहकारी संस्थाओं औद्योगिक सहकारी भी शामिल होते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को कुल 49 लाख रु० की परियोजना लागत वाली स्टोन क्रशिंग स्कीम की 10 यूनिटें मंजूर की गई हैं जिनके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने 10 लाख रु० संवितरित किए हैं। जहां तक वर्तमान वर्ष का संबंध है औद्योगिक सहकारी सोसाइटी की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य से औद्योगिक सहकारी सोसाइटी के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है।

एकबत्ती कनैक्शन के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों की पहचान करना

3162. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा राज्य-वार पहचान किये गये अनुसूचित जाति के परिवारों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने परिवारों को एकबत्ती कनैक्शन प्रदान किया जा चुके है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित गरीबी की रेखा से नीचे वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, भारत सरकार ने ऐसे गरीब परिवारों के परिवार में एक बत्ती के बिजली के कनेक्शनों के विस्तार के लिए वर्ष 1988-89 में एक कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार लाभग्राहियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(31.12.1996 की स्थिति के अनुसार संचयी स्थिति)

क्र० सं०	राज्य	प्रदान किया गया एक बत्ती कनेक्शन
1.	आन्ध्र प्रदेश	232205
2.	अरुणाचल प्रदेश	11372
3.	असम	43680
4.	बिहार	200274
5.	दिल्ली	0
6.	गोवा	1050
7.	गुजरात	40830
8.	हरियाणा	9630
9.	हिमाचल प्रदेश	7476
10.	जम्मू और कश्मीर	933
11.	कर्नाटक	309500
12.	केरल	26208
13.	मध्य प्रदेश	422695
14.	महाराष्ट्र	145015
15.	मणिपुर	3136
16.	मेघालय	5440
17.	मिजोरम	5100
18.	नागालैंड	3506
19.	उड़ीसा	99818
20.	पंजाब	7880
21.	राजस्थान	80285
22.	सिक्किम	12915
23.	तमिलनाडु	238570
24.	त्रिपुरा	3800